

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/193483/HAR/HARDOI/1814/CFO

दिनांक: 30-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHRISH CHANDRA PUBLIC INTER COLLEGE** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **154mi-158,Vill Rajepur, Sandi Road,,Hardoi** तहसील - **Hardoi** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Block A	2	0	8.45 mt.

तथा प्लॉट एरिया **9490.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHRISH CHANDRA PUBLIC INTER COLLEGE** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-04-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAKESH CHANDRA AGARWAL sanjaysinghhardoi@gmail.com, 7267022705** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-04-2026** से **05-04-2031** तक **5 वर्षों** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- भवन वर्ष-2022 से पूर्व का निर्मित है, इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा तत्सम्बन्धी अभिलेख आवेदन में अपलोड किया गया है।
- भवन के टेरेस पर टेरेस टैंक स्थापित नहीं है जिसके सापेक्ष अंडर ग्राउंड टैंक 12,000 लीटर क्षमता का स्थापित है तथा टेरेस पंप 450 LPM क्षमता का व UG पंप 660 LPM क्षमता स्थापित है।
- अग्निशमन व्यवस्थायें GO.NO. 187-CHH-PU-8-2022-905-34-2016 TC, DATED-07.01.2022 and NBC-2016 के मानकानुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।
- अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाना अनिवार्य होगा।
- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MAHESH PRATAP SINGH

C3E129832AA64EFD2575376DD69D5379BBEC5DFE

06-04-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-04-2026

स्थान : HARDOI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

